

१२-२-१८

पञ्जावली पेशा इई। शहादत वादी हेतु राज भी
कोई उपास्केत नहीं है। पञ्जावली का अवलोकन
किया गया तो वादी को शहादत हेतु कोई अवसर
दिये गये पसन्द आज भी शहादत हेतु कोई
उपास्केत नहीं है अतः वादी का वाद ०/१२३ में
रिजिस्ट्रि किया गया। पञ्जावली फैसला सुमाद
होकर दर्ज नम्बर से का है। आदेश सुल्ले
न्यायालय में सुनाया गया।

हप खण्ड अधिकारी
साँवर लेक